चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

पत्रांक – पी0ए0/2948
दिनांक – 08.09.2020

प्रेषक,

कुलसचिव,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

उप कुलसचिव (गोपनीय),

आपको इस कार्यालय के पत्रांक संख्या पी0ए0/2877 दिनांक 28/29.07.2020 द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया था। आपके द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 31.08.2020 माननीय कुलपति जी को प्रस्तुत किया गया था। इस सम्बन्ध में मुझे माननीय कुलपति जी के आदेश द्वारा आपको सूचित करना है कि –

1. आपके स्पष्टीकरण को माननीय कुलपति जी द्वारा संतोषजनक नही पाया गया है अतएव आपकी कर्तव्यनिष्ठा की जॉच करने के लिए विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही Uttar Pradesh State Universities (Centralised) Services Rules, 1975 के नियम 36(2) के अन्तर्गत प्रारम्भ की जा रही है।
2. उपरोक्त उल्लेखित नियमावली के नियम 36(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए माननीय कुलपति जी ने आपके प्रकरण के सम्बन्ध में जॉच हेतु संकायाध्यक्ष– वाणिज्य को नामित किया है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन (उ0प्र0), लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
4. वित्त अधिकारी, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
5. परीक्षा नियंत्रक, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
6. समस्त सहा0 कुलसचिव एवं अनुभाग अधिकारी।
7. वैयक्तिक सहायक, प्रतिकुलपति को प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ।
8. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
9. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट।

08-09-2020
कुलसचिव

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

पत्रांक – पी0ए0/2949
दिनांक – 08.09.2020

प्रेषक,

कुलसचिव,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

उप कुलसचिव (गोपनीय),

आपको इस कार्यालय के पत्रांक संख्या पी0ए0/2876 दिनांक 28/29.07.2020 द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया था। आपके द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 30/31.07.2020 माननीय कुलपति जी को प्रस्तुत किया गया था। इस सम्बन्ध में मुझे माननीय कुलपति जी के आदेश द्वारा आपको सूचित करना है कि –

1. आपके स्पष्टीकरण को माननीय कुलपति जी द्वारा संतोषजनक नही पाया गया है अतएव आपकी सत्यनिष्ठा की जॉच करने के लिए विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही Uttar Pradesh State Universities (Centralised) Services Rules, 1975 के नियम 36(2) के अन्तर्गत प्रारम्भ की जा रही है।
2. उपरोक्त उल्लेखित नियमावली के नियम 36(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए माननीय कुलपति जी ने आपके प्रकरण के सम्बन्ध में जॉच हेतु प्रतिकुलपति को नामित किया है।
3. आपकी सत्यनिष्ठा पर प्रश्नचिन्ह होने के कारण आपके द्वारा जॉच को प्रभावित करने की संभावना हो सकती है। अतः आपसे विश्वविद्यालय के उपकुलसचिव के रूप में कोई कार्य उपरोक्त जॉच के पूर्ण होने अथवा अग्रिम आदेशों तक नहीं लिया जायेगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन (उ0प्र0), लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
4. वित्त अधिकारी, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
5. परीक्षा नियंत्रक, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
6. समस्त सहा0 कुलसचिव एवं अनुभाग अधिकारी।
7. वैयक्तिक सहायक, प्रतिकुलपति को प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ।
8. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
9. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट।

08-09-2020
कुलसचिव